

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला मुरादाबाद
 तहसील बिलारी
 आवेदन क्र० 201350030027943
 प्रमाणपत्र क्र० 043203003739

जारी दिनांक: 25/08/2020

प्रमाणित किया जाता है कि
 पुत्र/पुत्री
 माता का नाम
 निवासी
 ग्राम
 तहसील
 जिला

स्थेहा रुहेला
 प्रदीप कुमार रुहेला
 सीमा रुहेला
 ,पो० नूरपुर
 लालपुर हमीर
 बिलारी
 मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की ढीपी जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्थेहा रुहेला पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 री० री०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा मंशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९९३ में यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: विपिन कुमार नेकदात जन सेवा केन्द्र PRABHA
 पद: विपिन कुमार, केन्द्र प्रभारी
 स्थान: LALPUR HAMEER, बिलारी, LALPUR
 HAMEER, कुन्दरकी, मुरादाबाद
 दिनांक: 31/08/2020

हस्ताक्षर एवं सुहर

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लिंग जारी तरीके से जारी गया है तथा डिजिटल सिग्नर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.gov.in> पर इसका पहले आवेदन क० किर प्रमाणपत्र क० बंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

Digitaly Signed by
PRABHA SINGH
 O-Personal,S-Uttar
 pradesh

सक्षम अधिकारी/तहसीलदार
 डिजिटल हस्ताक्षरित
 बिलारी, मुरादाबाद
 दिनांक: 25/08/2020